भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1105

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्षेत्रीय आयुष चिकित्सा केंद्रों की स्थापना

1105. श्री देवुसिंह चौहान:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2026-27 के दौरान पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य परिचर्या को एकीकृत करने के लिए क्षेत्रीय आयुष चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नीतिगत संवाद को प्रगाढ़ बनाने के लिए गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा साक्ष्य आधारित आयुर्वेद अनुसंधान और विद्वानों के बीच डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास 2026-27 कार्यक्रम जैसी कोई पहल शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वैश्विक प्रमाणन मानकों को पूरा करने और निर्यात तैयारी को बढ़ावा देने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं (डीटीएल) के उन्नयन के लिए रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। इस पहल के लिए नोडल विभाग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने आयुष मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श किया। आयुष मंत्रालय ने प्रस्तावित केन्द्रों में आयुष पद्धतियों के एकीकरण के लिए डीपीआईआईटी को समयबद्ध तकनीकी इनपुट एवं सुझाव उपलब्ध कराए हैं।

(ख): आयुष मंत्रालय, डब्ल्यूएचओ के सहयोग से, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र (जीटीएमसी), जामनगर के माध्यम से सहयोग भी सम्मिलित है, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, साक्ष्य-आधारित प्रथाओं को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण तथा वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु कार्य कर रहा है।

प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

(i) भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ के बीच मेजबान देश समझौते के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र (जीटीएमसी), जामनगर की स्थापना तथा संचालन।

(ii) प्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर (2023) में किया गया, जिसके परिणामस्वरूप "गुजरात घोषणा-पत्र जारी" किया गया।

(iii) द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली (2025) में किया गया, जिसके परिणामस्वरूप "दिल्ली घोषणा-पत्र" को अंगीकार किया गया तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025-2034 के कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट, परिमाप्य, प्राप्य, प्रासंगिक एवं समयबद्ध (एसएमएआरटी) प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई।

(iv) वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान प्राथमिकताओं एवं कार्य योजना का विकास, तकनीकी विशेषज्ञ नेटवर्क की स्थापना, पारंपरिक चिकित्सा डेटा मानकों का उन्नयन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक पुस्तकालय (टीएमजीएल) का शुभारंभ।

(v) पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में जीटीएमसी, जामनगर परिसर का निरंतर विकास किया जा रहा है।

(ग): आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के माध्यम से विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, जिनमें आयुर-प्रकृति वेब पोर्टल, स्वास्थ्य असेसमेंट स्केल पोर्टल, आयुर्वेद में सुधार के लिए प्रशंसनीय व्यक्तित्व(एपीटीए) डिजिटल लाइब्रेरी (आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय), आयुष पांडुलिपि उन्नत भंडार (एएमएआर), आयुर्वेदिक ऐतिहासिक मुद्रण का प्रदर्शन (एसएएचआई) तथा ई-मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन (ई-मेधा) सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष रुग्णता और मानकीकृत शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (एनएएमएएसटीई पोर्टल) तथा आयुष अनुसंधान पोर्टल जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का भी अनुरक्षण किया जा रहा है।

सीसीआरएएस-प्रयत्न, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के क्षेत्र में स्नातकोत्तर (पीजी) और डॉक्टरेट (पीएचडी) शोधार्थियों के वैज्ञानिक लेखन कौशल का विकास और संवर्धन करना है। यह कार्यक्रम आवेदन करने वाले संस्थानों में आयोजित संरचित, प्रत्यक्ष कार्यशालाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है।

सीसीआरएएस- प्रयत्न, का द्वितीय सत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित किया गया तथा तृतीय सत्र जुलाई, 2026 में आरंभ किया गया।

(घ): आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की गई है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्नलिखित हैं:

(i) उच्च मानकों की प्राप्ति हेतु आयुष औषधशालाओं एवं औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन।
(ii) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए भेषज सतर्कता को सुदृढ़ करना और भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करना।
(iii) आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय नियामक तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
(iv) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) तथा अन्य संबंधित वैज्ञानिक संस्थानों एवं औद्योगिक आर एंड डी केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों एवं सामग्रियों के मानकों के विकास तथा उनके प्रत्यायन/प्रमाणीकरण के लिए सहायता प्रदान करना।

औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को औषधि नियम, 1945 के नियम 160 क से 160 ञ के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा तथा यूनानी (एएसएसयू) औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता एवं सामर्थ्य की जांच करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान में 118 निजी प्रयोगशालाएँ तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 34 औषध परीक्षण प्रयोगशालाएँ कार्यशील हैं।

आयुष निर्यात संवर्धन परिषद् (आयुषएक्सआईएल) की स्थापना आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से की गई है। यह परिषद् आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा एवं यूनानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और उनकी निगरानी करने का कार्य करती है। यह व्यापार संबंधी मुद्दों का समाधान करके, अपने सदस्यों को निर्यात प्रक्रियाओं के संबंध में क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करके, व्यापार-से-व्यापार बैठकों एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, रोड शो, सेमिनार तथा आयुष उत्पादों के निर्यात से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करके निर्यात को प्रोत्साहित करती है। साथ ही, यह परिषद् आयुष स्वास्थ्य देख-रेख सेवा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के संरक्षण के लिए भी कार्य करती है

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय आयुष उत्पादों के लिए निम्नलिखित गुणवत्ता प्रमाणन पहलों को बढ़ावा देता है:

i. सीडीएससीओ में आयुष वर्टिकल: राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के साथ संयुक्त निरीक्षणों के माध्यम से नियामक निगरानी को सुदृढ़ करता है तथा पात्र आयुष औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन औषधि उत्पाद प्रमाणपत्र (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

ii. क्यूसीआई गुणवत्ता प्रमाणन योजना: घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अन्य-पक्षीय मूल्यांकन के आधार पर 'आयुष मानक चिह्न' एवं 'आयुष प्रीमियम चिह्न' प्रदान करती है।

आयुष मंत्रालय ने आयुष गुणवत्ता चिह्न कार्यक्रम का शुभारंभ 19.12.2025 को आयुष उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उनकी वैश्विक पहचान को बढ़ाने के उद्देश्य से किया।
